:: न्यायालय- अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा जिला- झालावाड ::

पीठासीन न्यायाधीश : मुकेश कुमार सोनी
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : **57/2019**
CIS No.- : **57/2019**

राजस्थान राज्य

बनाम

01. **जगदीश** पुत्र बीरमचंद, निवासी कंवरपुरा, पुलिस थाना घाटोली, जिला झालावाड़ (राज.)
02. **पप्पूलाल उर्फ पप्पू** पुत्र बेजनाथ, निवासी महुआखोह, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

---**अभियुक्तगण**

अपराध धारा 8/21, 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम

उपस्थितः-

01. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
02. श्री भागचन्द मीणा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक- 25.03.2026**

1. यह सैशन प्रकरण थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा द्वारा अभियुक्तगण जगदीश व पप्पूलाल के विरूद्ध धारा 8/21, 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे निर्णय में आगे '**अधिनियम, 1985**' सम्बोधित किया जा रहा है) में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संस्थित हुआ है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-

2. अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक 30.04.2019 को राधाकिशन उपनिरीक्षक पुलिस थाना अकलेरा मय जाप्ता नन्दलाल कानि., गोपाल कानि. व राकेश कानि. अवैध कार्यों की चैकिंग व धरपकड़ हेतु थाने से समय 3.23 पी.एम. पर रवाना होकर गश्त करते हुए समय 4.10 पी.एम. पर एन.एच. 52 बासोदिया रोड़ पहुंचे व नाकाबन्दी शुरू की। दौराने नाकाबन्दी समय 4.30 पी.एम. पर एक व्यक्ति पैदल-पैदल घाटोली की तरफ से आता हुआ नजर आया जो पुलिस को बावर्दी नाकाबन्दी करते देखकर एकदम ठिठक गया व पीछे मुड़कर भागने लगा जिसे जाप्ता की मदद से पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश पुत्र बीरमचन्द निवासी कंवरपुरा थाना घाटोली का होना बताया। उसके पास अवैध मादक पदार्थ होने की आशंका होने से उसकी तलाशी लिये जाने हेतु स्वतंत्र गवाह तलब करने के प्रयास किए गए परन्तु कोई भी गवाह बनने हेतु तैयार नहीं होने पर जाप्ता में

नन्दलाल व राकेश कुमार कानि को गवाह मामूर किया। इसके पश्चात राधाकिशन उ.नि. ने डिटेनशुदा शख्स जगदीश को अपना परिचय देते हुए बताया कि उसके पास कोई मादक पदार्थ होने की शंका है व उसकी तलाशी लिया जाना है। जगदीश के समक्ष विकल्प रखा कि उसकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवाई जा सकती है या उनको यहां बुलाया जा सकता है, यह उसका कानूनी अधिकार है। इस संबंध में धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जिस पर उसने लिखित में बताया कि वह अपनी तलाशी राधाकिशन उ.नि. थाना अकलेरा से ही लिवाना चाहता है। इसके उपरांत राधाकिशन व गवाहान ने एक-दूसरे को स्वयं की तलाशी दी। तत्पश्चात राधाकिशन उ.नि. ने जगदीश की तलाशी ली तो उसकी पेन्ट की दाहिनी जेब से एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली मिली जिसमें हल्के भूरे रंग का पदार्थ भरा हुआ था जिसे देखा, परखा, चखा व सूंघा तो पूर्व अनुभव के आधार पर स्मैक होना पाया गया गया। जगदीश ने भी उक्त पदार्थ को स्मैक होना बताया। जगदीश से उक्त मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। स्मैक का तौल किया गया तो थैली सहित कुल वजन 11.20 ग्राम हुआ तथा स्मैक का शुद्ध वजन 10 ग्राम हुआ। मौके पर दो-दो ग्राम के नमूना व कंट्रोल सेम्पल निकाले जाकर सीलमोहर कर मार्क ए व बी दिया गया। शेष 6 ग्राम मादक पदार्थ को उसी प्लास्टिक की थैली में रखकर सीलमोहर कर मार्क सी अंकित किया गया। जगदीश को गिरफ्तार किया गया। उसकी जामा तलाशी में मिले 250/- को एक लिफाफे में रखकर चिट चस्पा कर मार्क डी दिया गया व जामा तलाशी में मिले धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया, इत्यादि। इस कार्यवाही के पश्चात पुलिस थाना अकलेरा वापिस पहुँचकर जप्तीकर्ता राधाकिशन उ.नि. ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी-08 पर 7.29 पी.एम. बजे कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 185/2019 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 अधिनियम, 1985 में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त **जगदीश** के विरूद्ध अधिनियम, 1985 की **धारा 8/21, 29** का प्रमाणित पाये जाने पर आरोप-पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त **पप्पूलाल उर्फ पप्पू** के विरूद्ध अधिनियम, 1985 की **धारा 8/29** में आरोप पत्र पेश किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध अधिनियम, 1985 की धारा 8/21, 29 व अभियुक्त पप्पूलाल उर्फ पप्पू के विरूद्ध अधिनियम, 1985 की धारा 8/29 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये-समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी

क्रमांक 1 लगायत 11 के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 31 पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समुचित विवरण निर्णय के अंतिम भाग में संलग्न **परिशिष्ट- 'क'** में दिया गया है।

5. अभियुक्तगण जगदीश व पप्पूलाल का धारा 313 दप्रसं के अधीन परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना एवं साक्षियों के कथनों को झूठ होना बताया। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

6. बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। अभियुक्त जगदीश के पास 10 ग्राम स्मैक बरामद करना बताया है लेकिन अभियुक्त को धारा 50 का नोटिस देकर स्वयं जप्ती अधिकारी से तलाशी लिवाने का तृतीय विकल्प दिया गया है जो कानून सम्मत नहीं है। जप्ती उपनिरीक्षक राधाकिशन ने की है जिसने थाना पहुंच कर जप्त माल को पुनः सील कर जमा मालखाना करवाया है। वह उपनिरीक्षक है जो धारा 42, 43 के अनुसार थानाधिकारी पदास्थापित नहीं होने के कारण जप्ती व पश्चातवर्ती कार्यवाही करनेक के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए अधिनियम, 1985 के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपाल नहीं किये जाने के कारण बरामदगी व पश्चातवर्ती कार्यवाही दूषित हो चुकी है। उनका तर्क है कि अभियोजन के सभी साक्षी एक ही थाने के पुलिसकर्मी हैं। स्वतंत्र व्यक्ति उपलब्ध होते हुए भी उन्हें गवाह नहीं बनाया गया है। माल का तौल आदि कार्यवाही के समय के बारे में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्त पप्पूलाल का फर्द जप्ती में नाम नहीं है उसे बिना किसी ठोस आधार के धारा 27 की अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर प्रकरण में दोषी माना गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं है। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक का निवेदन है कि मौके पर तलाशी लेने से पहले स्वतंत्र गवाह तलब करने के प्रयास किए गए थे लेकिन कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। अभियुक्त जगदीश को नियमानुसार धारा 50 का नोटिस देकर तलाशी ली गई है, नोटिस में व स्वयं जप्ती अधिकारी की साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि अभियुक्त को कोई तृतीय विकल्प दिया गया हो। उनका तर्क है कि जप्ती अधिकारी राधाकिशन उपनिरीक्षक था किन्तु वक्त घटना उसके पास थाना प्रभारी का चार्ज था, इसलिए उसने मौके पर निजी सील से माल को सील करने के बाद थाना पंहुच कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया है और थाना की सील से पुनः सील कर मालखाना में जमा करवाया है। अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अतः उन्हें दोषसिद्व किए जाने का निवेदन किया गया।

8. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रकरण के

विनिश्चय के लिए न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दू है कि-

(1) क्या दिनांक 30.04.2019 को समय करीब 4.30 पी.एम. पर एन.एच. 52 पर बासोदिया रोड़ पर राधाकिशन उ.नि. पुलिस थाना अकलेरा ने मय जाप्ता नाकाबन्दी के दौरान अभियुक्त जगदीश की पेंट की जेब से उसके सचेतन कब्जे से एक पारदर्शी थैली में 10 ग्राम स्मैक बिना वैध लाईसेंस के बरामद की गई जो वह सहअभियुक्त पप्पूलाल पुत्र बेजनाथ निवासी महुआखोह थाना अकलेरा से लाकर अभियुक्त जगदीश ने अवैध स्मैक के धंधे में सहअभियुक्त पप्पूलाल के साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर आपराधिक दुष्प्रेरण का पक्षकार रहा तथा अभियुक्त पप्पूलाल द्वारा उक्त स्मैक अभियुक्त जगदीश को विक्रय कर आपराधिक षडयंत्र कारित किया तथा सहअभियुक्त जगदीश के साथ मिलकर उक्त आपराधिक कृत्य में आपराधिक दृष्प्रेरण का पक्षकार रहा?

(2) यदि हां तो उसके लिये उचित दण्ड क्या होगा?

9. अभियोजन कथा के अनुसार प्रकरण में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने के पश्चात् बरामद जप्त पदार्थ व नमूना पैकेटों को पुनः सील कर मालखाने में जमा करवाये गए। अनुसंधान के दौरान नमूना A को परीक्षण हेतु एफएसएल भिजवाया गया। एफएसएल की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-31 में जाँच का निष्कर्ष निम्न प्रकार है -

RESULT OF EXAMINATION

On microchemical analysis :-

The Sample packed in the packet marked **A** was found to contain Diacetylmorphine (Heroin), hence the sample is of opium derivative as described U/S 2 (xvi) d and e of the NDPS Act, 1985.

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण-

10. आरोपों के समर्थन में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य में अभिग्रहण अधिकारी **अभियोजन साक्षी क्रमांक 7 राधाकिशन** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 30.4.2019 को थाना अकलेरा में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह, धनराज कानि., गोपाल कानि., राकेश कानि. के साथ प्राईवेट मोटरसाईकिल से मय अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर व बैट्री के समय 3:23 पीएम पर थाना से रवाना होकर चैकिंग अवैध कार्यवाही एवं पकड़ हेतु गश्त करता हुआ समय 4:10 पीएम पर एनएच 52 पर बासुदिया रोड़ पहुंचे, जहां नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी समय 4.30 पीएम पर एक व्यक्ति घाटोली की तरफ से पैदल-पैदल आता हुआ नजर आया जो पुलिस जाप्ता को बावर्दी देखकर एकदम रूका व पीछे मुडकर भागने लगा। जिसके पास कोई अवैध

मादक पदार्थ होने की आशंका से उस व्यक्ति का मय जाब्ता पीछा कर पकडा तथा यथास्थिति खड़े रहने की हिदायत दी गयी। उक्त व्यक्ति से पुलिस नाकाबंदी को देखकर भागने बाबत पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नही दिया तथा पसीना-पसीना हो गया। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश तंवर होना बताया। उक्त व्यक्ति के पास कोई अवैध मादक पदार्थ होने की आशंका होने से तलाशी लेना अत्यंत आवश्यक होने पर समय 4.40 पीएम पर नंदलाल कानि. को हुक्मनामा देकर दो स्वतंत्र गवाह लाकर पेश करने की हिदायत देकर रवाना किया गया। जिसने 10 मिनट बाद वापस आकर बताया कि उसने आस-पास स्वतंत्र गवाहान को तलाश किया लेकिन कोई व्यक्ति कानूनी पेचिदगियों के कारण गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ ना ही किसी ने नाम पता बताया। तत्पश्चात् जाब्ता में से नंदलाल व राकेश कानि. को गवाह बनने हेतु तहरीर देकर उनकी सहमति से गवाह मामूर किया। उसने अपनी तलाशी गवाहान को व गवाहान की तलाशी उसके द्वारा ली गयी, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उसके बाद संदिग्ध व्यक्ति जगदीश को तलाशी के विकल्प दिये जाकर धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया तथा जवाब चाहा तो उसने लिखित मे अपना जवाब पेश किया कि वह स्वेच्छया अपनी तलाशी उसके द्वारा ही लिवाना चाहता है। तत्पश्चात् उसने जगदीश की तलाशी ली तो पेंट की दाहिनी जेब में एक पॉलिथीन की पारदर्शी थेली मिली जिसमे भूरे रंग का पदार्थ भरा हुआ था व थेली पर गांठ लगी हुई थी। थेली को खोलकर देखा, चखा व सूंघा तो थेली के अंदर अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिली। जगदीश से उक्त पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने भी स्मैक होना बताया। अपने पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। जगदीश का कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का दंडनीय अपराध होने से उसके पास मिली स्मैक को इलेक्ट्रानिक कांटे से तौल किया तो मय बारदाने के 11.20 ग्राम हुआ व स्मैक का शुद्ध वजन 10 ग्राम हुआ। जिसमे से 2-2 ग्राम के नमूना सेम्पल व कंट्रोल सेम्पल निकाले जाकर अलग अलग प्लास्टिक की पारदर्शी थेली मे रखकर अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क ए व बी दिया गया। शेष बची 6 ग्राम स्मैक को उसी थेली में रखकर मार्क सी दिया गया। जगदीश को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी में शर्ट के सामने की जेब में एक धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का चार घड़ीशुदा नोटिस मिला, जो शामिल पत्रावली किया गया एवं पीछे पेंट की जेब में 250 रूपये नगद मिले जिनको एक सफेद लिफाफे में रखकर मार्क डी दिया गया। जब्तशुदा पैकेट पर उसकी निजी सील अंकित की। फर्द मुर्तिब की गयी। सील को मौके पर नष्ट किया गया। बाद कार्यवाही मय सील्डशुदा माल मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम के मय जाब्ता के रवाना होकर थाने पर पहुंचा। वापसी थाना पर मुकदमा दर्ज कर उच्चाधिकारीयों के आदेश से अनुसंधान नैनूराम

उपनिरीक्षक थानाधिकारी थाना घाटोली को सुपुर्द किया गया। जप्तशुदा माल को पुनः थाने की सील से सिल्ड मोहर कर जमा मालखाना करवाया। अभियुक्त को बंद हवालात किया गया। धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना प्रदर्श पी 1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द मामूरी गवाहान प्रदर्श पी 6, स्वतंत्र गवाह लाने का हुक्मनामा प्रदर्श पी 5 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। साक्षी के अनुसार नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी 7 पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त जगदीश के हस्ताक्षर व ई से एफ उसका जवाब अंकित है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 9 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 10 पर ई से एफ उसके व जी से एच जगदीश के हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 पर ई से एफ उसके व जी से एच जगदीश के हस्ताक्षर हैं। फर्द पुनः सील प्रदर्श पी 12 पर ई से एफ उसके व जी से एच जगदीश के हस्ताक्षर व तीन जगह नमूना सील अंकित है। साक्षी ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 13 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर बताये हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 14 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर बताये हैं। नकल रपट रोजनामचा आम प्रदर्श पी 15 प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि थानाधिकारी के पद पर राजेश कुमार की नियुक्ति हुई थी और स्वयं की नियुक्ति उपनिरीक्षक के पद पर होना बताया है। यह स्वीकार किया है कि सभी फर्दों में और अपने बयान धारा 161 दप्रसं ने उसने स्वयं के नाम के आगे थानाधिकारी अंकित नहीं किया। यह स्वीकार किया है कि **राजेश जी वक्त घटना उसे थाने का चार्ज संभलाकर गये थे** किन्तु उक्त चार्ज की रपट या प्रति उसने पत्रावली में पेश नहीं की है। साक्षी के अनुसार वे थाने से दो मोटरसाईकिलों पर रवाना हुए थे। वह नंदलाल के साथ मोटरसाईकिल पर था और दूसरी मोटरसाईकिल को राकेश चला रहा था। वापिस आते समय अभियुक्त को अपनी मोटरसाईकिल पर बिठाकर लाना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह जगदीश को पहले से जानता हो। साक्षी के अनुसार लेपटोप लेनोवा कम्पनी का था जो उसका निजी था। यह स्वीकार किया है कि नंदलाल ने उसे उन लोगों के नाम नहीं बताये जिन्हें गवाह बनने के लिए कहा था। यह भी स्वीकार किया है कि स्वयं उसने भी दो चार लोगों से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा था और उनके द्वारा मना करने पर कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह इस कार्यवाही को करता या गवाहों के खिलाफ कार्यवाही करता। उन लोगों से नाम पते नहीं पूछे। साक्षी का कथन है कि उसे यह जानकारी है कि राजकार्य में असहयोग करने के कारण कार्यवाही की जा सकती है। यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल के पास कैलाश मीणा का धर्मकांटा व पेट्रोल पम्प है। उसने धर्मकांटा पर मौजूद लोगों से

स्वतंत्र गवाह बनने के लिए नहीं कहा था। **साक्षी के अनुसार उसने अभियुक्त जगदीश को स्वयं द्वारा उसकी तलाशी लेने का विकल्प नहीं दिया था।** धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस स्वतंत्र गवाहों के समक्ष देना बताया है और स्वीकार किया है कि नोटिस पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। नोटिस की प्रति अभियुक्त जगदीश को दिये जाने का नोटिस में उल्लेख नहीं है और न ही जगदीश से प्राप्ति रसीद ली थी। साक्षी ने फर्द जप्ती को देखकर माल का तौल 5.30 बजे करने का कथन किया है। साक्षी के अनुसार माल के पैकेट पर समय अंकित किया या नहीं उसे याद नहीं है। यह स्वीकार किया है कि वह प्रकरण का माल साथ लेकर नहीं आया है। अभियुक्त की तलाशी में उसके पास धारा 50 का नोटिस मिला या नहीं याद नहीं होना बताया है। साक्षी का कथन है कि पुनः सील करने में लगभग दस मिनट लगे थे। पुनः सील करने का तथ्य अनुसंधान अधिकारी को उसने बता दिया था। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी1 में पुनः सील करने की बात अंकित नहीं है जिसका कारण नहीं बता सकता। इस सुझाव को गलत बताया है कि मादक पदार्थ से जगदीश का कोई संबंध नहीं हो और समस्त लिखापढ़ी, तौल, सील, सेम्पल की कार्यवाही थाने पर बैठकर की गई हो।

11. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 03 नंदलाल** कनि. ने मुख्य परीक्षा में पूर्वाक्त साक्षी के समान कथन किया है। साक्षी के अनुसार अभियुक्त जगदीश के पास मादक पदार्थ होने की शंका से उसकी तलाशी लेना आवश्यक होने से उसे हुक्मनामा देकर दो स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा था, उसने आस पास जाने वाले राहगीरों से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा तो सभी ने पुलिस व न्यायालय के कानूनी पड़पंच में नहीं पड़ने के कारण गवाह बनने से इंकार कर दिया और ना ही अपना नाम बताया। साक्षी का कथन है कि थानेदार जी ने अभियुक्त को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया और उससे कहा कि **आप आपकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष करवा सकते है। तो उसने कहा कि वह उसकी स्वंय की तलाशी आपसे करवाना चाहता है।** इसके बाद राधाकिशन जी ने परस्पर तलाशी लेने देने के बाद जगदीश की तलाशी ली तो पेंट की दाहिनी जेब से प्लास्टिक की पारदर्शी थेली स्मैक मिली। जिसका तौल करने पर वजन 10 ग्राम हुआ। जिसमें से दो-दो ग्राम के नमूना व कंट्रोल सेम्पल निकाले। बाद कार्यवाही नमूना सील को मौके पर ही नष्ट किया जिसकी अलग से फर्द बनायी। जगदीश को फर्द गिरफ्तारी से गिरफ्तार किया। साक्षी के अनुसार सारी कार्यवाही राधाकिशन जी के कहे अनुसार उसने लेपटाप पर टाईप करके प्रिंटर से प्रिंट निकालकर राधाकिशन जी को पेश की थी। घटना स्थल से रवाना होकर थाने पर आये। थाने पर मुकदमा दर्ज किया। जगदीश को बंद हवालात करके माल जमा मालखाना किया। साक्षी ने हुक्मनामा प्रदर्श पी 05 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर व सी से डी रिपोर्ट बताई है।

स्वतंत्र गवाह मामूर करने की फर्द प्रदर्श पी 6 अपने हस्ताक्षर व सहमति प्रदर्शित करवाई है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने ए से बी हस्ताक्षर बताये हैं। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 9, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 10, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम जगदीश प्रदर्श पी 11, फर्द पुनः सील प्रदर्श पी 12 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर प्रदर्शित करवाये हैं। साक्षी के अनुसार दौराने अनुसंधान नैनूराम मीणा ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 13 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि नक्शा मौका थानेदार नेनूराम जी का कलमी है। घटना स्थल पर रविन्द्र की जो दुकान थी वह बन्द थी। साक्षी के अनुसार घटना के दिन करीब 8-10 आदमियों से गवाह बनने के लिए कहा था। उनके गवाह बनने से इन्कार करने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। यह स्वीकार किया है कि राधाकिशन जी उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। एसएचओ के पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी उसे याद नहीं। यह स्वीकार किया है कि किसी भी फर्द पर उनका इंचार्ज होना नहीं लिखा है। फर्दो में राधाकिशन उपनिरीक्षक ही अंकित है। यह स्वीकार किया है कि धारा 50 का नोटिस उसके समक्ष दिये जाने बाबत उनके हस्ताक्षर नहीं करवाये। माल का तौल 5.20 बजे करना बताया है। साक्षी के अनुसार एक मोटरसाईकिल उसकी थी व एक राकेश कांस्टेबल की थी। उसकी मोटरसाईकिल पर थानेदार जी बैठे थे और राकेश की मोटरसाईकिल पर गोपाल बैठा था। आते समय अभियुक्त को अपनी मोटरसाईकिल पर बिठाकर लाना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्त जगदीश को उसके घर से पकड़कर लाये हों व उसके पास कोई स्मैक नहीं मिली हो तथा सारी लिखापढ़ी, तौल व सील सेम्पल की कार्यवाही थाने पर की गई हो।

12. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 04 राकेश कुमार** कानि. ने मुख्य परीक्षा में पूर्वोक्त साक्षियों के समान करते हुए फर्द जप्ती के अभिकथनों का समर्थन किया है। साक्षी के अनुसार मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने पर उसे व नंदलाल कानि को स्वतंत्र गवाह मामूर किया। फिर **थानेदार जी ने अभियुक्त जगदीश को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया और उससे कहा कि आप आपकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष करवा सकते है। तो उसने कहा कि वह उसकी स्वंय की तलाशी उनसे करवाना चाहता है।** इसके बाद राधाकिशन जी ने अपनी तलाशी देने व दोनो गवाहान की तलाशी लेने के बाद जगदीश की तलाशी ली तो पेंट की दाहिनी जेब से एक प्लास्टिक की पारदर्शी थेली गांठ लगी हुई मिली। जिसमे स्मैक मिली जो तौल करने पर वजन 10 ग्राम पाया गया। जिसमे से दो-दो ग्राम के नमूना व कंट्रोल सेम्पल निकालें, शेष 6 ग्राम स्मैक को उसी प्लास्टिक की थेली में रखकर कपडे की थेली में रखकर कर मौके पर सील्ड मोहर किया। साक्षी ने स्वतंत्र गवाह मामूरी की फर्द प्रदर्श पी 6 पर ई से एफ उसके

हस्ताक्षर व जी से एच सहमति को प्रदर्शित करवाया है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 8, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 9, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 10, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम जगदीश प्रदर्श पी 11, फर्द पुनः सील प्रदर्श पी 12 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। साक्षी के अनुसार अनुसंधान अधिकारी नेनूराम मीणा ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 13 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि नक्शा मौका थानेदार नेनूराम जी का कलमी है। घटना स्थल पर रविन्द्र की जो दुकान थी वह बन्द थी। साक्षी के अनुसार घटना के दिन करीब 8-10 आदमियों से गवाह बनने के लिए कहा था। उनके गवाह बनने से इन्कार करने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। यह स्वीकार किया है कि राधाकिशन जी उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। एसएचओ के पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी उसे याद नहीं। यह स्वीकार किया है कि किसी भी फर्द पर उनका इंचार्ज होना नहीं लिखा है। फर्दों में राधाकिशन उपनिरीक्षक ही अंकित है। यह स्वीकार किया है कि धारा 50 का नोटिस उसके समक्ष दिये जाने बाबत उनके हस्ताक्षर नहीं करवाये। माल का तौल 5.20 बजे करना बताया है। साक्षी ने एक मोटरसाईकिल अपनी होने का कथन किया है। उसके अनुसार नंदलाल की मोटरसाईकिल पर थानेदार जी बैठे थे और आते समय अभियुक्त को नंदलाल की मोटरसाईकिल पर बिठाकर लाना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्त जगदीश को उसके घर से पकड़कर लाये हो व उसके पास कोई स्मैक नहीं मिली हो तथा सारी लिखापढ़ी, तौल व सील सेम्पल की कार्यवाही थाने पर की गई हो।

13. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 06 गोपालसिंह** कानि. ने पूर्वोक्त साक्षियों के समान कथन किये हैं साक्षी के अनुसार अभियुक्त जगदीश की तलाशी लेने से पहलेर **थानेदार जी ने उसे धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया और उससे कहा कि आप आपकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष करवा सकते हैं। तो उसने कहा कि वह उसकी स्वंय की तलाशी थानेदार जी से करवाना चाहता है।** इसके बाद राधाकिशन जी द्वारा जगदीश की तलाशी लेने पर पेंट की दाहिनी जेब से प्लास्टिक की पारदर्शी थेली गांठ लगी हुई मिली। जिसमे भूरे रंग का पदार्थ स्मैक मिला, जिसका इलेक्ट्रानिक कांटा से तोल किया तो शुद्ध वजन 10 ग्राम हुआ। जिसमें से दो-दो ग्राम के नमूना व कंट्रोल सेंपल निकाल कर राधाकिशन जी की सील से सील्ड मोहर कर के चिट चस्पा किया व शेष 6 ग्राम स्मैक को उसी प्लास्टिक की थेली में रखकर कपड़े की थेली में रखा। बाद कार्यवाही नमूना सील को मौके पर ही नष्ट किया जिसकी अलग से फर्द बनायी। साक्षी ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 पर ई से एफ प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर बताये हैं। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि वे थाने से दो मोटरसाईकिलें लेकर मौके पर गये थे। वह नंदलाल की मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था। दूसरी मोटरसाईकिल किसकी थी उसे पता नही।

साक्षी के अनुसार उनके थानाधिकारी राजेश मीणा थे और राधाकिशन जी द्वितीय अधिकारी थे। अभियुक्त जगदीश की तलाशी के दौरान वहां से निकलने वाले दो तीन लोगों से भी पूछताछ की थी। उनको गवाह नहीं बनाया क्योंकि उन लोगों ने गवाह बनने से इन्कार कर दिया था। स्वतंत्र गवाह तलाशने के लिए नंदलाल मोटरसाईकिल से गया था। किस दिशा में गया उसे याद नहीं है। नंदलाल गया उस दौरान राधाकिशन एस.आई. ने मौके पर आने जाने वाले लोगों से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए पूछा था। जगदीश की तलाशी से पूर्व एस.आई. साहब ने यह विकल्प दिये थे कि मैं या मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी आपकी तलाशी ले सकते हैं। घटना स्थल से अकलेरा कस्बा की दूरी दो-तीन किलोमीटर होना बताई है। यह स्वीकार किया कि अकलेरा में राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट निवास करते हैं। यह स्वीकार किया है कि नोटिस धारा 50 प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। नोटिस कितनी प्रतियों में बनाया था उसे याद नहीं है। साक्षी के अनुसार माल का तौल करीब पांच बजे किया था और पांच बजे बाद ही सेम्पल निकाले थे। यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त को नोटिस दिया तब और दूसरी बार उसकी गिरफ्तारी के समय कुल दो बार तलाशी ली थी। मौके की कार्यवाही में फर्दों पर एस.आई. की निजी सील प्रयुक्त करना बताया है। वह सील किस धातु की बनी थी यह याद न होना कहा है। साक्षी के अनुसार कार्यवाही के पश्चात सील को तोड़कर जमीन में गाड़ दिया। पूरी कार्यवाही में करीब डेढ़-दो घण्टे का समय लगा था। मौकी सारी कार्यवाही लेपटोप पर टाईप की थी और मौके पर ही प्रिंटर से प्रिंट कर पेज निकाले थे। प्रिंटर का तार मौके पर बैट्री में लगाया था। कार्यवाही के बाद जगदीश को नंदलाल वाली मोटरसाईकिल पर बिठाकर लाये थे और वह थानेदार जी वाली मोटरसाईकिल पर बैठकर आया था। नंदलाल की मोटरसाईकिल पर अभियुक्त और राकेश कांस्टेबल थे। थाना आकर माल को पुनः सील किया था। उसने अपने बयान धारा 161 में पुनः सील करने की बात बताई थी। उसके बयान में क्यों नहीं लिखी उसे जानकारी नहीं है। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह मौके पर न गया हो और अभियुक्त को जाखड़ बस में से थाने के सामने उतार लिया हो तथा डरा धमकाकर थाने पर उसके हस्ताक्षर करवाए हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि सील सेम्पल की सारी कार्यवाही थाने पर की गई हो।

14. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 01 हनुमान** का कथन है कि वह दिनांक 01.05.2019 को थाना अकलेरा मे कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नंबर 185/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना बंद लिफाफे में श्रीमान सीओ साहब अकलेरा को पेश करने के लिए थानाधिकारी इंचार्ज राधाकिशन जी ने दी थी। जिसे उसने सीओ साहब को देकर रसीद प्राप्त की थी। नोटिस की द्वितीय प्रति प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी प्राप्ति का अंकन है।

साक्षी के अनुसार दिनांक 22.05.2019 को उक्त मुकदमे मे मालखाना इंचार्ज नारायणसिंह हेड कानि. ने एक सील्डशुदा पैकेट मार्क ए मय अग्रेषण पत्र एफएसएल में जमा करवाने के लिए उसे दिया था। उसने एसपी आफिस झालावाड़ पहुंच कर अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर दिनांक 23.05.2019 को एफएसएल जयपुर मे उक्त सीलडशुदा माल पैकेट मार्क ए उसी अवस्था में जमा करवाकर रसीद प्रदर्श पी 2 प्राप्त की। वापसी थाने पर दिनांक 25.05.2019 को रसीद मालखाना इंचार्ज नारायणसिंह हेड कानि को सुपुर्द की। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 3 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर प्रदर्शित करवाये हैं। **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को गलत बताया है कि वह धारा 57 की सूचना एफआईआर दर्ज होने से पहले लेकर गया हो। यह स्वीकार किया है कि डिप्टी एस.पी. का कार्यालय थाने के पास ही है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-4 एस.पी. कार्यालय में मुंशी द्वारा तैयार करना बताया है। यह स्वीकार किया है कि माल को जप्ती के करीब 20-25 दिन बाद लेकर गया था। इस सुझाव से इन्कार किया है कि सील टूटी होने के एतराज के साथ एफएसएल से माल वापस लौटा दिया गया हो।

15. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 08 नारायणसिंह** के अनुसार वह दिनांक 30.04.19 को थाना अकलेरा में एच.सी. के पद पर मालखाना प्रभारी पदस्थापित था। उस दिन राधाकिशन एसआई ने उसे प्रकरण सं. 185/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में जप्तशुदा 4 पैकेट ए.बी.सी व डी सील्डशुदा सम्भलाये थे जिनको उसने मालखाना रजिस्टर में क्रम सं. 86 पर दर्ज किया था। साक्षी के अनुसार दिनांक 22.05.19 को हनुमान कानि. 1214 को एक पैकेट मार्क ए सील्डशुदा मय कागजात अग्रेषण पत्र दिया जाकर परीक्षण एफएसएल हेतु मार्फत झालावाड़ एसपी रवाना किया था जिसने बाद माल जमा करवाकर रसीद सं0 7416 दिनांक 25.05.19 को पेश की। मूल मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज प्रदर्श पी 16 है जिसकी प्रमाणित प्रदर्श पी 16ए है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उस समय थानाधिकारी कौन थे उसे याद नहीं लेकिन द्वितीय अधिकारी राधाकिशन जी थे। यह स्वीकार किया है कि माल दिनांक 30.04.2019 को दिन के समय जमा किया था। रजिस्टर प्रदर्श पी-16 में समय अंकित नहीं है और माल जमाकर्ता राधाकिशन के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया है कि रजिस्टर प्रदर्श पी-16 में माल सील करने की सील की छाप अंकित नहीं है। यह स्वीकार किया है कि मालखाना रजिस्टर में तीन माल दर्ज हैं जो पृथक-पृथक प्रकरणों के जिनके क्रम भी 84 हैं। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने राधाकिशन जी के कहने से माल को रोक रखा हो और बाद में इंद्राज किया हो। साक्षी के अनुसार माल जमा कराने से पूर्व जप्ती अधिकारी ने धारा 55 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस नहीं दिया था। साक्षी का कथन है कि एफएसएल भेजने से पहले माल मेरे पास ही रहा था। यह स्वीकार

किया है कि वह जप्तशुदा माल न्यायालय में लेकर नहीं आया है।

16. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 02 कमलेश** की साक्ष्य है कि वह दिनांक 02.05.2019 को थाना घाटोली मे कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना अकलेरा का मुकदमा नंबर 185/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अनुसंधान अधिकारी नेनूराम एसआई के साथ वह और बाबूलाल हेड कानि. मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम जगदीश महुवाखो गये थे। वहां मुलजिम जगदीश ने स्वेच्छा धारा 27 की सूचना के मुताबिक आगे आगे चलकर पप्पू तंवर द्वारा 10 ग्राम स्मैक दी जाने स्थान की तस्दीक की। फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी 4 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर बताये हैं। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि तस्दीक स्थल खुली जगह है। तस्दीक करते समय मौके पर कोई संदिग्ध वस्तु या मादक पदार्थ नहीं मिला। बाड़े के स्वामित्व बाबत यदि कोई दस्तावेज प्राप्त किये हो तो उसे पता नहीं।

17. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 05 बाबूलाल** हेड कानि. ने गिरफ्तारशुदा मुलजिम जगदीश की धारा 27 की सूचना के अनुक्रम में घटना स्थल की तस्दीक किये जाने का कथन किया है और फर्द तस्दीक प्रदर्श पी 4 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर प्रदर्शित करवाये हैं। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि बाड़ा खुला स्थान है जहां उस समय कोई मादक पदार्थ या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।

18. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 10 हेमंत** का कथन है कि वह दिनांक 12.10.2019 को थाना घाटोली में कानि० के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना अकलेरा के मुकदमा नं. 185/19 धारा 8/21,29 एनडीपीएस एक्ट में थानाधिकारी नैनूराम में अभियुक्त पप्पू पुत्र बेघनाथ तंवर निवासी महुआ खोह को उसके सामने गिरफ्तार किया था। जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.20 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के अनुसार अभियुक्त पप्पू की सूचना पर उसकी निशादेही से पशु बांधने के बाड़े के टीनशेड के नीचे जगदीश तंवर को 10 ग्राम स्मैक बेचने के स्थान की तस्दीक कराई थी जो प्रदर्श पी.22 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि अभियुक्त अन्य मुकदमे में गिरफ्तार किया था। उसे थाने से ही गिरफ्तार किया था। तस्दीक मौका के समय कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।

19. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 9 नैनूराम** की साक्ष्य है कि वह दिनांक 30.04.19 को थाना घाटोली में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उच्चाधिकारियों के आदेश से थाना अकलेरा के मुकदमा सं. 185/19 का अनुसंधान उसे प्राप्त हुआ। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। नक्शा मौका प्रदर्श पी-13 बनाया। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी-2. अगेषण पत्र प्रदर्श पी-3, रोजनामचा रपट की प्रमाणित प्रति प्र्दश पी-15, मालखना जमा की नकल प्रदर्श पी-16ए शामिल पत्रावली की। अभियुक्त जगदीश ने उसे

स्वेच्छापूर्वक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-17 दी व उक्त सूचना के अनुक्रम में घटना स्थल तस्दीक किया गया जो प्रदर्श पी-4 है। दिनांक 02.05.2019 को भी जगदीश ने धारा 27 साक्ष्य अधि नियम की सूचना प्रदर्श पी-18 दी। जगदीश का गिरफ्तारी के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण कराया जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 है। अनुसंधान से अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध धारा 8/21, 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। अदम गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू के विरूद्ध धारा 173 (8) सीआरपीसी में अनुसंधान पेंडिंग रखते हुए जगदीश के विरूद्ध चालानी आदेश हेतु पत्रावली एसएचओ अकलेरा के सुपुर्द कर दी। तत्पश्चात दिनांक 12.10.19 को अभियुक्त पप्पूलाल को जरिये फर्द प्रदर्श पी-20 गिरफ्तार किया। दौराने हिरासत अभियुक्त पप्पू ने उसे धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-21 दी जिस पर पप्पू की निशादेही से घटना स्थल तस्दीक किया गया जो प्रदर्श पी-22 है। पप्पू का आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी-23 शामिल पत्रावली किया गया। धारा 42 का नोटिफिकेशन प्रदर्श पी-24 शामिल पत्रावली किया गया। रोजनामचा की नकल रपटें प्रदर्श पी-25 लगायत 30 शामिल पत्रावली की। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त पप्पूलाल के विरूद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जिसकी तितम्बा चार्जशीट पेश करने हेतु पत्रावली थानाधिकारी अकलेरा को पेश की। प्रकरण की एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-31 है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसे आज यह जानकारी नहीं है कि दिनांक 30.04.2019 को ही थाना अकलेरा पर एफएसआई सं. 183/19 दर्ज हुई हो जिसका अनुसंधान भी उसके द्वारा किया गया हो। उसे आज जानकारी में नहीं है कि उक्त एफआईआर में जप्ती अधिकारी राजेश कुमार सी.आई. हो। **यह स्वीकार किया है कि दिनांक 30.04.2019 को राधाकिशन द्वितीय अधिकारी व इंचार्ज थानाधिकारी था।** यह स्वीकार किया है कि दिनांक 30.04.2019 को राधाकिशन को थाना इंचार्ज बनाने की नकल रपट पत्रावली में नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके अनुसंधान में यह तथ्य आया हो कि जगदीश व मांगीलाल को जाखड़ बस से उतारकर उनके विरूद्ध थाना अकलेरा में झूठा प्रकरण दर्ज किया हो। यह स्वीकार किया है कि उसने अनुसंधान के दौरान मालखाने में माल को नहीं देखा था। माल को एफएसएल उसके द्वारा नहीं भेजा गया था, थाना अकलेरा वालों ने भेजा होगा। साक्षी के अनुसार अनुसंधान के दौरान घटना स्थल पर जप्ती अधिकारी की नष्ट सील के अवशेष नहीं मिले थे। यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल आम सड़क व नेशनल हाईवे है जहां आवागमन बना रहता है और वाहन निकलते रहते हैं। यह स्वीकार किया है कि नक्शा मौका बनाते समय किसी स्वतंत्र गवाह को नहीं बुलाया। जाप्ता में से दो पुलिसकर्मियों को स्वतंत्र गवाह रखा था। साक्षी का कथन है कि गवाहों के बयान उनके कहे अनुसार लिखे थे। गवाहों ने पुनः सील की कार्यवाही बाबत नहीं बताया

इसलिए अंकित नहीं है। यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में धारा 52ए की कार्यवाही उसके द्वारा नहीं करवाई गई थी। जप्ती अधिकारी ने कराई हो तो आज उसकी जानकारी में नहीं है। यह स्वीकार किया है कि फर्द जप्ती में माल लेने व देने जाने बाबत किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया था। स्वतः कहा है कि अनुसंधान के दौरान पूछताछ में अभियुक्त ने पप्पू का नाम बताया था। यह स्वीकार किया है कि पप्पू को जप्ती के करीब तीन-चार माह बाद गिरफ्तार किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती अधिकारी ने जो फर्दें उसे दी थी उन पर उपनिरीक्षक अकलेरा लिखा हुआ है, इंचार्ज थानाधिकारी अंकित नहीं है। यह स्वीकार किया है कि जप्ती अधिकारी ने मौके पर दो-दो ग्राम मात्रा में कंट्रोल व नमूना सेम्पल निकाले थे। यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-22 के निरीक्षण के दौरान वहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। यह स्वीकार किया है कि जप्त माल उसे न्यायालय में नहीं दिखाया है।

20. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 11 राजेश** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 17.11.2019 को थाना अकलेरा में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना अकलेरा के मुकदमा नं. 185/19 धारा 8/21,29 एनडीपीएस एक्ट की पत्रावली बाद अनुसंधान अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध धारा 8/21,29 एवं पप् पुलाल के विरूद्ध 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित मानते हुए अनुसंधान अधिकारी नेनूराम ने पत्रावली उसके समक्ष पेश की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसने दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध बाद कता चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 31 शामिल पत्रावली है। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि दिनांक 30.04.2019 को वह थाना अकलेरा में थानाधिकारी था। स्वतः कथन किया है कि एफआईआर के समय वह उपस्थित नहीं था। यह स्वीकार किया है कि पत्रावली में एेसी कोई रपट नहीं है जिसमें उसकी उपस्थित उस दिन थाने पर रही हो। यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में अनुसंधान नहीं किया था।

साक्ष्य की विवेचना-

21. प्रकरण में सर्वप्रथम मुख्य अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 8/21 के सम्बन्ध में विचार किया जाये तो अभियोजन कथा के अनुसार अभियुक्त जगदीश के कब्जे से 10 अवैध स्मैक बरामद हुई थी और अभिग्रहण की कार्यवाही में अधिनियम, 1985 के अपेक्षित प्रावधानों की पालना की गई है। अभियुक्त की ओर से उसे मिथ्या आलिप्त करने का अभिकथन करते हुए अभिग्रहण कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन का तर्क दिया गया है जिसका विश्लेषण इस प्रकार है-

22. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि जप्ती की कार्यवाही

राधाकिशन उप-निरीक्षक द्वारा की गई है जो थानाधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं होने के कारण अधिनियम, 1985 की धारा 42, 43 के अधीन मादक पदार्थ के अभिग्रहण के लिए सक्षम अधिकारी नहीं था। राधाकिशन उनि. ने उक्त प्रावधानों के प्रतिकूल थाना पर अभियोग दर्ज किया व पुनः सील की कार्यवाही कर माल को जमा मालखाना करवाया। इसलिए सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो गई है। इस संदर्भ में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2009(3) R.Cr.D. 65(Raj.) Hamira Ram Versus The State of Rajasthan के मामले में एएसआई स्तर के अधिकारी द्वारा अभिग्रहण कार्यवाही की गई और थाना पंहुच कर अभियोग दर्ज किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अप्राधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विहित प्रक्रिया के अननुपालन के कारण दोषपूर्ण है। अभियुक्त की ओर अन्य न्यायिक दृष्टांत State of Rajasthan v. Aasif Khan S.B. Criminal Leave to Appeal No. 187/2024 पेश किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिग्रहण अधिकारी उपनिरीक्षक था और एेसी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि वह तत्समय थानाधिकारी नियुक्त हो या उसके पास थाना प्रभारी का प्रभार हो। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिग्रहण की कार्यवाही को आज्ञापक प्रावधान का उल्लघंन होना अभिनिर्धारित किया है।

23. हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अभिग्रहण अधिकारी साक्षी क्रमांक 7 राधाकिशन घटना के समय पुलिस थाना अकलेरा में उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। फर्द जप्ती व अन्य सभी फर्दों में उसने स्वयं को उपनिरीक्षक अंकित किया है। साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि तत्समय पुलिस थाना अकलेरा में थानाधिकारी अर्थात Station House Officer के पद पर पदस्थापित अधिकारी का नाम राजेश कुमार मीणा था।

24. अधिनियम, 1985 की धारा 43 में उपबन्धित है कि धारा 42 में विहित कोई अधिकारी किसी लोक स्थान में अथवा अभिवहन में किसी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ को, जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है कि इस अपराध के अन्तर्गत दंडनीय अपराध किया गया है और ऐसा पदार्थ अभिग्रहण किए जाने योग्य है तो उसे अभिग्रहित कर सकता है और किसी व्यक्ति को निरूद्ध कर उसकी तलाशी ले सकता है। धारा 42 में यह उपबंधित है कि राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त पुलिस अधिकारी जो कांस्टेबल की श्रेणी से उच्चतर हो, कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

25. इस संदर्भ में साक्ष्य में प्रस्तुत राजस्थान सरकार की अधिसूचना **No. F. 1(3) FD/EX/85-I, dated 16-10-86, published in Rajasthan Gazette Part IV-C (II) dated 16-10-86 on page 269** की नकल प्रदर्श पी 24 के सुसंगत है जिसमें राज्य सरकार द्वारा विहित अधिकारियों के पद बताये गये हैं। जो इस प्रकार

है-

> S.O. 115.- In exercise of the powers conferred by section 42 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No 61 of 1985) the State Government hereby authorise all Inspectors of Police, **and** Sub-Inspectors of Police, posted as Station House Officers, to exercise the powers mentioned in Section 42 of the said Act with immediate effect:
>
> Provided that, when power is exercised by Police Officer other than Police Inspector of the area concerned such officer shall immediately hand over the person arrested and articles seized to the concerned Police Inspectors or S.H.O. of the Police Station concerned.

26. उक्त अधिसूचना के अनुसार पुलिस निरीक्षक तथा ऐसे उप-निरीक्षक जो Station House Officer नियुक्त हों, धारा 42 व धारा 43 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत तलाशी, अभिग्रहण आदि कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं, किन्तु इस अधिसूचना के **परन्तुक** में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पुलिस निरीक्षक से भिन्न किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे तत्काल ऐसे गिरफतार किए गए व्यक्ति और अभिग्रहित की गयी सामग्री को संबंधित पुलिस निरीक्षक या पुलिस थाना के एसएचओ को सुपुर्द करना होगा।

27. हस्तगत प्रकरण में धारा 42, 43 अधिनियम, 1985 के परिपेक्ष्य में साक्षी क्रमाक 7 राधाकिशन ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं को दिनांक 30.04.2019 को थाना अकलेरा में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत होना कहा है। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि थानाधिकारी के पद पर राजेश कुमार की नियुक्ति हुई थी और साक्षी ने स्वयं की नियुक्ति उपनिरीक्षक के पद पर होना बताया है। साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि **राजेश जी वक्त घटना उसे थाने का चार्ज संभलाकर गये थे,** किन्तु उक्त चार्ज की रपट या प्रति उसने पत्रावली में पेश नहीं की है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 11 राजेश ने साक्ष्य में उपस्थित होकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र पेश करने की साक्ष्य दी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 30.04.2019 को वह थाना अकलेरा का थानाधिकारी था परन्तु यह स्पष्ट किया है कि वह एफ.आई.आर. के समय उपस्थित नहीं था। साक्षी राजेश ने यह भी स्वीकार किया है कि पत्रावली पर ऐसी कोई रपट नहीं है जिससे उसकी उपस्थिति उस दिन थाना पर रही हो। बचाव पक्ष का तर्क है कि उसी दिन थानाधिकारी राजेश मीणा द्वारा भी एनडीपीएस एक्ट में एक कार्यवाही की थी और उसका अनुसंधान भी नैनूराम ने किया था। यद्यपि यह तथ्य हस्तगत प्रकरण में सुसंगत नहीं है और ना ही इस विषय में कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश किये गये हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी नैनूराम का कथन है कि उसे आज जानकारी में नहीं है यदि दिनांक 30.04.2019 को ही थाना अकलेरा पर एफएसआई सं. 183/19 दर्ज हुई हो और जिसका अनुसंधान भी उसके द्वारा किया गया हो तथा

उक्त एफआईआर में जप्ती अधिकारी राजेश कुमार सी.आई. हो।

28. इस प्रकार यह विवादित नहीं है कि अभिग्रहण अधिकारी राधाकिशन सुसंगत समय पर उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था और थानाधिकारी के पद पर राजेश कुमार की नियुक्ति थी, किन्तु उक्त राधाकिशन ने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि थानाधिकारी राजेश कुमार ने उसे थाना का चार्ज दे रखा था। प्रकरण में किसी भी अभियोजन साक्षी का ऐसा कथन नहीं है कि राधाकिशन उपनिरीक्षक ने प्रश्नगत अभिग्रहण और मुकदमा से सम्बन्धित पश्चातवर्ती कार्यवाही "थानाधिकारी राजेश कुमार" के थाना पर उपस्थित रहते हुए की हो।

29. इसी संदर्भ में रपट रोजनामचा की नकल प्रदर्श पी 15 महत्वपूर्ण है, यह रपट दिनांक 30.03.2019 को समय 3.23 बजे राधाकिशन उपनिरीक्षक की ओर से डाली गई है कि *"मन राधाकिशन एस.आई. मय जाप्ता नंदलाल कनि. 502, गोपाल कनि. 411, राकेश कनि. 1515 मय प्राईवेट मोटरसाईकिलों के वास्ते अवैध कार्यों की चैकिंग व धरपकड़ हेतु मय आधुनिक अनुसंधान बॉक्स, निजि लेपटॉप, प्रिंटर मय बैट्री के कस्बा अकलेरा व ईलाका थाना रवाना हुआ।* ***चार्ज थाना केदारसिंह हैड कनि. 24 के जिम्मे किया*** *गया।"*

30. इसी क्रम में प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 के अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 30.03.2019 को उक्त राधाकिशन एसआई ने अभिग्रहण कार्यवाही के पश्चात् थाना वापस आकर थानाधिकारी की हैसियत में अभियोग दर्ज किया है और उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर **थाना प्रभारी (**in charge of Police Station**)** के तौर पर किये गये हैं। रिपोर्ट पर राधाकिशन उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर के साथ "थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा" की मोहर अंकित है। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि रपट रोजनामचा प्रदर्श पी 15 पर थानाधिकारी राजेश कुमार का नाम अंकित है इसलिए राधाकिशन उनि. की रवानगी के समय वह थाना पर मौजूद होना साबित है। इस सम्बन्ध में नकल रपट प्रदर्श पी 15 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस पर राजेश कुमार पुलिस निरीक्षक का नाम मुद्रित करने वाले अधिकारी के रूप में अंकित है और रपट की भाषा से ही यह स्पष्ट है कि यह रपट स्वयं राधाकिशन उनि. की ओर से लिखी गई है और उसके द्वारा थाना का चार्ज हैड कनि. को सुपुर्द कर थाना से रवाना होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उक्त रपट प्रदर्श पी 15 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिग्रहण कार्यवाही से पूर्व थाना से रवाना होते समय साक्षी राधाकिशन उनि. इंचार्ज थाना था और वापसी थाना के समय भी उसके पास थाना प्रभारी का चार्ज था।

31. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत State of Rajasthan v. Gopal & Ors. Criminal Appeal arising out of SLP (Cri.)

@ Diary No. 28242/2019 निर्णय दिनांक 06 मई 2025 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अस्थाई थाना प्रभारी (In-charge SHO) धारा 42 के अन्तर्गत तलाशी, अभिग्रहण व गिरफ्तारी करने में सक्षम है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अभिग्रहण अधिकारी की असक्षमता का तर्क स्वीकार्य नहीं है।

32. प्रकरण में अभिग्रहण अधिकारी राधाकिशन ने जप्तशुदा माल व नमूनों को थाना की सील से पुनः सील कर मालखाना में जमा करवाये जाने के तथ्य हैं, किन्तु उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि राधाकिशन उनि. न केवल प्रश्नगत अभिग्रहण की कार्यवाही से पूर्व थाना से रवाना होते समय इंचार्ज थाना थे अपितु वापस लौटने पर अभियोग दर्ज किये जाने के समय भी उसके पास थानाधिकारी का चार्ज था, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 पर थानाधिकारी की हैसियत में पदाभिहित होने से प्रकट होता है। पत्रावली पर ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं जिनसे यह दर्शित होता हो कि राधाकिशन उनि. ने प्रश्नगत मादक पदार्थ की जप्ती और उसके पश्चात् पुनः सील व माल को जमा करवाने की कार्यवाही थाना अकलेरा के पदस्थ थानाधिकारी (designated SHO) राजेश कुमार की मौजूदगी में की हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों से यह पाया जाता है कि वापसी थाना के पश्चात् राधाकिशन उनि. थाना अकलेरा का थाना प्रभारी था और उसके द्वारा की गई पुनः सील व माल जमा करवाने सहित पश्चातवर्ती कार्यवाहियाँ थानाधिकारी की हैसियत में की गई थी। जो तत्समय की परिस्थितियों में आवश्यक होने से विधिसम्मत है। इसलिए हस्तगत प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि प्रकरण में धारा 42, 23 की अवहेलना की गई हो। पत्रावली से यह भी प्रकट होता है कि प्रकरण का अनुसंधान अन्य थाना के थानाधिकारी नैनुराम द्वारा किया गया है जिसने अनुसंधान से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना पाये हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में अनुसंधान की निष्पक्षता सुनिश्चित की गई है।

33. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रकरण में अधिनियम, 1985 की धारा 50 के उल्लंघन का तर्क दिया गया है कि धारा 50 के नोटिस में स्वयं अभिग्रहण अधिकारी राधाकिशन उनि. ने स्वयं से तलाशी लिवाने का तृतीय विकल्प दिया गया था। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2018(4) Cj(Cri.)(SC) 2013 Satyanarayan @ Sattu Vs State of Rajasthan के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से तलाशी लिवाने के अतिरिक्त थानाधिकारी से तलाशी लिवाने का तीसरा विकल्प दिया जाना कार्यवाही को दूषित बना देता है। अन्य न्यायिक दृष्टांत 2014(2) CJ(Cr.) SC 512 State v. Parmanand & ors. के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जप्ती करने वाले दल के सदस्य द्वारा तलाशी

लेने का तीसरा विकल्प दिया गया जो स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50(1) के प्रावधानों को विफल करता है। न्यायालय इस विधिक स्थिति से सहमत है कि धारा 50 के अधीन अभियुक्त को दिया जाने वाला विकल्प राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट तक ही सीमित होना चाहिये और कोई अतिरिक्त विकल्प अभियुक्त को उसके अधिकारों के बारे में गुमराह कर सकता है।

34. इस संदर्भ में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जाये तो में अभियोजन कथा के अनुसार अभियुक्त जगदीश की व्यक्तिगत तलाशी में प्रश्नगत मादक पदार्थ 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसका नमूना एफएसएल की जाँच से Diacetylmorphine (Heroin) होना पाया गया है। साक्ष्य से अभियुक्त जगदीश की तलाशी लेने से पूर्व अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत नोटिस देने के तथ्य प्रकट हुए हैं। अभियुक्त जगदीश को दिये गये नोटिस प्रदर्श पी- 7 में उल्लेख है कि- *"आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि मन राधाकिशन उनि. को आपके पास मादक पदार्थ/सामग्री होने का शक है। मै आपकी तलाशी लेना चाहता हुँ। आपको यह कानूनी अधिकार है कि आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं या उनको मौके पर भी बुलाया जा सकता है।"*

35. नोटिस की भाषा से यह स्पष्ट है कि अभिग्रहण अधिकारी राधाकिशन उनि. ने अभियुक्त जगदीश के पास मादक पदार्थ का का संदेह होने पर उसकी तलाशी लेने की आवश्यकता महसूस की गई थी और उसके द्वारा अभियुक्त को तलाशी से पूर्व किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से तलाशी लिवाने का विकल्प के बारे में सूचित किया गया है। नोटिस प्रदर्श पी- 7 में अभिग्रहण अधिकारी राधाकिशन द्वारा स्वयं से तलाशी लेने का अतिरिक्त विकल्प दिया जाना अंकित नहीं है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी- 8 में भी ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं है कि अभियुक्त को उसकी तलाशी के लिए कोई तीसरा विकल्प सुझाया गया था। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में अभिग्रहण अधिकारी साक्षी क्रमांक 7 राधाकिशन ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसने अभियुक्त जगदीश को स्वयं से तलाशी लिवाने का विकल्प दिया हो। अभिग्रहण कार्यवाही के अन्य सभी साक्षियों का भी यह कथन है कि अभियुक्त जगदीश को तलाशी से पूर्व राधाकिशन उनि. ने राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से तलाशी लिवाने का विकल्प दिया था। केवल साक्षी क्रमांक 6 गोपाल सिंह कनि. ने प्रतिपरीक्षा में किये गये प्रश्न के उत्तर में यह कथन किया है कि अभियुक्त जगदीश को तलाशी से पूर्व एसआई साहब ने यह विकल्प दिये थे कि मैं या राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट आपकी तलाशी ले सकते हैं, किन्तु इस साक्षी की मुख्य परीक्षा में यह कथन है कि अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से तलाशी लिवाने का विकल्प दिया गया था। इस

प्रकार साक्षी गोपाल सिंह का प्रतिपरीक्षा में किया गया कथन उसकी मुख्य परीक्षा के विपरीत है तथा दस्तावेजी साक्ष्य (फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 व नोटिस धारा 50 प्रदर्श पी 7) से समर्थित नहीं है। इसलिए केवल साक्षी गोपाल सिंह द्वारा किये प्रतिपरीक्षा में गये कथन से यह साबित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त जगदीश को धारा 50 का नोटिस दिये जाने के समय तृतीय विकल्प दिया गया हो। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क बलहीन है।

36. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त किया गया है और किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। इस सम्बन्ध में फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 एवं अभियोजन साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त जगदीश को संदेह के आधार पर डिटेन किये जाने के बाद तलाशी लेने से पहले साक्षी क्रमांक 3 नंदलाल कनि. को हुक्मनामा प्रदर्श पी 5 देकर स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा गया था और किसी व्यक्ति के गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होने पर पुलिस दल में सम्मलित कनि. नंदलाल व राजेश को गवाह मामूर कर अभिग्रहण की कार्यवाही की गई थी। साक्षी नंदलाल ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि उसने आस-पास जाने वाले राहगीरों से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा तो सभी ने पुलिस व न्यायालय के कानूनी फेर में नहीं पड़ने के कारण गवाह बनने से इंकार कर दिया और अपने नाम नहीं बताये। साक्षी के अनुसार उसने करीब 8-10 आदमियों से गवाह बनने के लिए कहा था, उनके गवाह बनने से इन्कार करने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। स्वयं अभिग्रहण अधिकारी राधाकिशन ने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि स्वयं उसने भी दो चार लोगों से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा था और उनके द्वारा मना करने पर कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह यह कार्यवाही करता या गवाहों के खिलाफ कार्यवाही करता। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकरण में कार्यवाही से पूर्व स्वतंत्र साक्षियों की उपलब्धता के लिए प्रयास किया जाना प्रकट होता है और साक्षियों के कथनों से मिथ्या आलिप्त करने का तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए मात्र पुलिसकर्मी होने से उनकी की साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता।

37. बचाव पक्ष का तर्क है कि न्यूनतम पांच ग्राम नमूना लेकर एफएसएल भिजवाया जाना आवश्यक था लेकिन दो-दो ग्राम के नमूने लिए गए हैं। इस सम्बन्ध में Standing Instruction No .1/88 dated 15.03.1988 की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया है जिसमें यह निर्देश है कि रासायनिक जाँच के लिए नमूना की मात्रा 5 ग्राम होनी चाहिये। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त जगदीश के कब्जे से बरामद मादक पदार्थ की कुल मात्रा 10 ग्राम है और इसमें से दो-दो ग्राम के दो नमूने, एक नमूना रासायनिक जाँच के लिए व एक कंट्रोल सैम्पल लिए गए हैं। शेष छः ग्राम को पृथक से रखा गया है। एफएसएल भिजवाये गये

नमूना मार्क ए (दो ग्राम) की जाँच की जाकर इसमें diacetynmorphine (Herion) पाया गया है। एफएसएल की रिपोर्ट प्रदर्श पी 31 में उक्त परीक्षित नमूना की मात्रा की अपर्याप्तता के बारे में कोई आक्षेप नहीं है।

38. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अनुसंधान में धारा 52ए की कार्यवाही नहीं की गई है इसलिए अभियुक्तगण दोषमुक्ति के पात्र हैं। अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि धारा 52ए का प्रावधान मादक पदार्थ के निस्तारण से संबंधित है और इसके आधार पर अभियुक्तगण को कोई Prejudice कारित नहीं हुआ है। इस संबंध में अभियुक्त की ओर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत State of Rajasthan v. Aasif Khan S.B. Criminal Leave to Appeal No. 187/2024 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

8. Several defects in the investigation have been noticed. Indeed, there is a defect in seizing sampling and sending the article to the FSL. As a matter of fact, no inventory has been prepared and no samples in the presence of Magistrate were taken for the purpose of sending the same to the FSL. As per the guidelines issued under Standing Order No.1/1989, it was incumbent upon the Seizing Officer to ensure taking samples of the contraband in the presence of Magistrate after making inventory. It has further been mandated by the legislature after in sertion of Section 52 A of the NDPS Act. In a reasoned judgment passed by Hon'ble the Supreme Court in the case of Mohammed Khalid and another Vs. The State of Telangana passed in Criminal Appeal No(S). 1610 Of 2023 dated 01.03.2024, it was held that since no proceedings were undertaken for preparing of inventory and drawings of samples as per Section 52-A of NDPS Act, thus, the FSL was considered to be waste and was not considered worthy of being read in evidence. On the basis of this inter alia other aspects, Hon'ble the Apex Court acquitted the appellants of all charges. The relevant paragraph of the above judgment is reproduced as under:-

> "22. Admittedly, no proceedings under Section 52A of the NDPS Act were undertaken by the Investigating Officer PW-5 for preparing an inventory and obtaining samples in presence of the jurisdictional Magistrate. In this view of the matter, the FSL report(Exhibit P11) is nothing but a waste paper and cannot be read in evidence."

39. इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Narcotics Control Bureau vs. Kashif** (Criminal Appeal No. 5544/2024 @ Special Leave Petition (Cr)No. 12120/2024 Order Date 20-12-2024) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि-

39. The upshot of the above discussion may be summarized as under:

(i) The provisions of NDPS Act are required to be interpreted keeping in mind the scheme, object and purpose of the Act; as also the impact on the society as a whole. It has to be interpreted literallyand not liberally, which may ultimately frus-

trate the object, purpose and Preamble of the Act.

(ii) While considering the application for bail, the Court must bear in mind the provisions of Section 37 of the NDPS Act which are mandatory in nature. Recording of findings as mandated in Section 37 is sine qua non is known for granting bail to the accused involved in the offences under the NDPS Act.

(iii) The purpose of insertion of Section 52A laying down the procedure for disposal of seized Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, was to ensure the early disposal of the seized contraband drugs and substances. It was inserted in 1989 as one of the measures to implement and to give effect to the International Conventions on the Narcotic drugs and psychotropic substances.

(iv) Sub-section (2) of Section 52A lays down the procedure as contemplated in sub-section (1) thereof, and any lapse or delayed compliance thereof would be merely a procedural irregularity which would neither entitle the accused to be released on bail nor would vitiate the trial on that ground alone.

(v) Any procedural irregularity or illegality found to have been committed in conducting the search and seizure during the course of investigation or thereafter, would by itself not make the entire evidence collected during the course of investigation, inadmissible. The Court would have to consider all the circumstances and find out whether any serious prejudice has been caused to the accused.

(vi) Any lapse or delay in compliance of Section 52A by itself would neither vitiate the trial nor would entitle the accused to be released on bail. The Court will have to consider other circumstances and the other primary evidence collected during the course of investigation, as also the statutory presumption permissible under Section 54 of the NDPS Act.

40. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नवीनतम न्यायिक दृष्टांत Bharat Aambale vs The State Of Chhattisgarh on 6 January, 2025 Criminal Appeal No. 250/2025 के मामले में उक्त विधि की पुष्टि की गई है।

41. उपर्युक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत न्यायालय के विनम्र मत में यद्यपि हस्तगत प्रकरण में अधिनियम, 1985 की धारा 52 ए की अनुपालना नहीं की गई है किन्तु पत्रावली में प्रस्तुत समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त जगदीश के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ diacetyn-morphine (Herion) बरामद हुआ है और मौके पर की गई बरामदगी की कार्यवाही में कोई संदेह का आधार नहीं पाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से ऐसे कोई तथ्य न्यायालय के सामने नहीं लाए गए हैं कि धारा 52 ए की कार्यवाही नहीं किये जाने मात्र से उन्हें कोई Prejudice कारित हुआ हो अथवा उनके हितों पर अन्यथा कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ हो। इसलिए मात्र इस आधार पर दोषमुक्ति का अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

42. ऐसी स्थिति में पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 30.04.2019 को

एनएच 52 पर बासेदिया रोड़ पर पर अभियुक्त जगदीश की नियमानुसार तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से अनुज्ञा पत्र रहित मनःप्रभावी पदार्थ 10 ग्राम diacetynmorphine (Herion) बरामद हुई है। एफएसएल की रिपोर्ट प्रदर्श पी- 31 से इसकी पुष्टि होती है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त जगदीश के कब्जे से उक्त मादक पदार्थ की बरामदगी होना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अधिनियम, 1985 की धारा 35 व धारा 54 की उपधारणा विधि अभियुक्त पर एक खण्डनीय प्रतिवाद का भार उत्पन्न करती है। उक्त प्रतिवाद भार में अभियुक्त की मानसिक दशा व कब्जे से संबंधित निर्दोषिता का भार अभियोजन पर अधिरोपित प्रारंभिक मामले के तथ्यों को साबित करने के भार से उच्च प्रकृति का नही है। अभियुक्त के सचेतन कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी का तथ्य संदेह से परे साबित होने पर उक्त उपधारणा विधि से सबूत का भार अभियुक्त पर आता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथमतः बरामदगी तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर बरामदशुदा माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने तक प्रक्रिया अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित की गयी है। ऐसी दशा में उक्त उपधारणा विधि के अनुसार अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का भार अभियुक्तगण पर था, किन्तु अभियुक्त की ओर से अभियोजन साक्षियों को प्रतिपरीक्षा में विरोधाभासी सुझाव दिये हैं। अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 नंदलाल व साक्षी क्रमांक 4 राकेश कुमार को प्रतिपरीक्षा में सुझाव दिए गए हैं कि अभियुक्त जगदीश को उसके घर से पकड़कर लाये हो और उसके पास कोई स्मैक न मिली हो। जबकि साक्षी क्रमांक 6 गोपालसिंह और अनुसंधान अधिकारी साक्षी नेनूराम को प्रतिपरीक्षा में सुझाए दिए गए हैं कि अभियुक्त को जाखड़ बस में से थाने के सामने उतारकर प्रकरण में आलिप्त किया गया हो। यद्यपि साक्षियों ने इन सुझावों को गलत बताया है किन्तु यह दर्शित होता है कि अभियुक्त जगदीश की प्रतिरक्षा अनिश्चिततापूर्ण है और उसने धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में कोई स्पष्टीकरण का अभिकथन नहीं किया है। अभियुक्त पक्ष द्वारा खण्डन में ऐसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गयी है जो अभियुक्त की मानसिक दशा व कब्जे संबंधी किसी तथ्य के प्रमाणीकरण में अभियोजन के मामले को सन्देहास्पद बनाती हो और अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा को विस्थापित करती हो। इस प्रकार अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 8 सपठित धारा 21 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित पाया जाता है।

43. **अभियुक्त पप्पूलाल उर्फ पप्पू के** विरूद्ध सह अभियुक्त जगदीश को प्रश्नगत मादक पदार्थ विक्रय करने के आधार पर आपराधिक षड़यन्त्र में सम्मलित होने का आरोप है। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त जगदीश द्वारा दी गई फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी-18 के आधार पर दिनांक 02.05.2019 को बनाये गये फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी-4 को प्रदर्शित करवाया गया है जिसमें

स्मैक खरीदने का स्थान दर्शाया गया है। अभियुक्त पप्पू को प्रकरण में दिनांक 12.10.2019 को गिरफ्तार किया गया है। उसकी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 21 के आधार पर फर्द तस्दीक नक्शा प्रदर्श पी 22 बनाया गया है। अभियुक्त पप्पूलाल उर्फ पप्पू के कब्जे से अपराध में लिप्तता सम्बन्धी कोई विषय वस्तु बरामद नहीं हुई है। फर्द तस्दीक नक्शा प्रदर्श पी-22 में दर्शाया गया स्थान अभियुक्त पप्पूलाल उर्फ पप्पू के स्वामित्व या आधिपत्य का हो ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ है। अनुसंधान अधिकारी साक्षी क्रमांक 9 नैनूराम ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-22 में वर्णित स्थान के निरीक्षण के समय कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती के समय मादक पदार्थ लेने व देने जाने बाबत किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया। इस प्रकार अभियुकत पप्पू की लिप्तता केवल अनुसंधान के दौरान धारा 27 की सूचनाओं के आधार पर मानी गई है। यह सुस्थापित विधि है कि केवल सह अभियुक्त की अपुष्ट सूचना के आधार पर किसी अभियुक्त को अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार साक्ष्य की उपर्युक्त विवेचना से अभियुक्त पप्पूलाल उर्फ पप्पू द्वारा सह अभियुक्त जगदीश को मादक पदार्थ विक्रय किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता।

44. निष्कर्षतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध धारा 8 सपठित धारा 21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है, किन्तु अभियुक्त पप्पूलाल उर्फ पप्पू के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 8 सहपठित धारा 29 युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त जगदीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 21 के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है एवं अभियुक्त पप्पू धारा 8 सहपठित धारा 29 के अपराध से दोषमुक्ति का पात्र है।

आदेश

45. अतः अभियुक्त **जगदीश** पुत्र बीरमचंद, निवासी कंवरपुरा, पुलिस थाना घाटोली, जिला झालावाड़ (राज.) को **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** की **धारा 8 सहपठित धारा 21** के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

46. अभियुक्त **पप्पूलाल उर्फ पप्पू** पुत्र बेजनाथ, निवासी महुआखोह, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) को **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** की **धारा 8 सहपठित धारा 29** का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण **दोषमुक्त** किया जाता है। उनके नियमित

हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश अकलेरा,
जिला झालावाड़ (राज.)

<u>दण्ड के प्रश्न पर</u>-

47. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त जगदीश का निवेदन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। इसलिए उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाये। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

48. उभय पक्ष द्वारा दिये तर्को पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन करने के साथ ही सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। यद्यपि अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि के तथ्य नहीं है और वह वर्ष 2019 से अन्वीक्षाधीन है तथापि प्रकरण में अभियुक्त के अनन्य आधिपत्य से 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ diacetynmorphine (Herion) बरामद हुआ है। अतः प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त जगदीश को निम्नानुसार दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है-

<u>दण्डादेश</u>

49. अतः अभियुक्त **जगदीश** पुत्र बीरमचंद, निवासी कंवरपुरा, पुलिस थाना घाटोली, जिला झालावाड़ (राज.) को **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** की **धारा 8 सहपठित धारा 21** के अपराध में **दो वर्ष के कठोर कारावास** के दण्ड से **एवं 25,000/- रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

50. अभियुक्त जगदीश द्वारा पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार मूल दण्ड में समायोजित की जावे।

51. अभियुक्त जगदीश जमानत पर मुक्त है, उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्त का सजा वारन्ट उक्तानुसार बनाया जावे एवं अभियुक्त को दण्डादेश भुगताने के लिए उपकारागार, अकलेरा जिला-झालावाड़ में प्रेषित किया जावे।

52. प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर निस्तारण किया जाये।

53. निर्णय की प्रति दण्डादिष्ट अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क दी जावे।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

54. निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित-मुद्रांकित किया गया और विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

परिशिष्ट - "क"

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का विवरण-

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
साक्षी क्रमांक- 01 हनुमान	57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना देना व माल एफएसएल जयपुर जमा कराना
साक्षी क्रमांक- 02 कमलेश	फर्द गिरफ्तारी व तस्दीक घटना स्थल
साक्षी क्रमांक- 03 नंदलाल	मौके की कार्यवाही
साक्षी क्रमांक- 04 राकेश कुमार	मौके की कार्यवाही
साक्षी क्रमांक- 05 बाबूलाल	फर्द तस्दीक घटना स्थल
साक्षी क्रमांक- 06 गोपालसिंह	मौके की कार्यवाही
साक्षी क्रमांक- 07 राधाकिशन	अभिग्रहण अधिकारी
साक्षी क्रमांक- 08 नारायणसिंह	मालखाना इंचार्ज
साक्षी क्रमांक- 09 नैनूराम	अनुसंधान अधिकारी
साक्षी क्रमांक- 10 हेमंत	फर्द गिरफ्तारी व तस्दीक बेचान स्थल
साक्षी क्रमांक- 11 राजेश	आरोप पत्र प्रस्तुत करना

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवरण -

प्रदर्श क्रमांक	**दस्तावेजात का विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी**
प्रदर्श पी 1	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना	साक्षी क्रमांक 1, 7
प्रदर्श पी 2	एफएसएल की प्राप्ति रसीद	साक्षी क्रमांक 1, 8, 9
प्रदर्श पी 3	पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र	साक्षी क्रमांक 1, 8, 9
प्रदर्श पी 4	फर्द तस्दीक घटना स्थल	साक्षी क्रमांक 2, 5, 8
प्रदर्श पी 5	स्वतंत्र गवाह लाने बाबत हुक्मनामा	साक्षी क्रमांक 3, 7
प्रदर्श पी 6	स्वतंत्र गवाह मामूर करने की फर्द	साक्षी क्रमांक 3, 4, 7
प्रदर्श पी 7	धारा 50 एनडीपीएस का नोटिस	साक्षी क्रमांक 3, 4, 7
प्रदर्श पी 8	फर्द जप्ती	साक्षी क्रमांक 3, 4, 6, 7
प्रदर्श पी 9	फर्द नमूना सील	साक्षी क्रमांक 3, 4, 7
प्रदर्श पी 10	फर्द नष्टीकरण सील	साक्षी क्रमांक 3, 4, 7
प्रदर्श पी 11	फर्द गिरफ्तारी जगदीश	साक्षी क्रमांक 3, 4, 7
प्रदर्श पी 12	फर्द पुनः सील	साक्षी क्रमांक 3, 4, 7
प्रदर्श पी 13	नक्शा मौका	साक्षी क्रमांक 3, 4, 7
प्रदर्श पी 14	चाक एफआईआर	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी 15	नकल रपट रोजनामचा	साक्षी क्रमांक 7, 9

प्रदर्श पी 16	मालखाना रजिस्टर	साक्षी क्रमांक 8
प्रदर्श पी 17, 18	अभियुक्त जगदीश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचनाएं	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी 19	जगदीश की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी 20	फर्द गिरफ्तारी पप्पू	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी 21	अभियुक्त पप्पू की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी 22	फर्द तस्दीक घटना स्थल	साक्षी क्रमांक 9, 10
प्रदर्श पी 23	पप्पू का आपराधिक रिकॉर्ड	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी 24	धारा 42 का नोटिफिकेशन	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी 35-30	नकल रपट रोजनामचा	साक्षी क्रमांक 9
प्रदर्श पी 31	एफएसएल रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 9, 11

(मुकेश कुमार सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, अकलेरा
जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL WAJID CHISTY
Steno Gr. I
''Authenticate Document"
Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY
Date: 2026.03.27 10:17:14 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।